Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में महाप्रबन्धक, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर (उ.प्र.) अतिरिक्त चार्ज अफीम फैक्ट्री, नीमच, म.प्र. (आई.आर.एस.) को आकस्मिक चैकिंग में 16 लाख रुपये से अधिक की नगदी के साथ पकड़ा**
- **मिठाई के डिब्बे में थे, 15 लाख रुपये**
- **स्कार्पियो कार पर लगे थे पुलिस के लोगो और लाल–नीली बत्ती**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज शनिवार को हैंगिग ब्रीज कोटा पर आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करते हुये डॉ. शंशाक यादव महाप्रबन्धक, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर (उ.प्र.) अतिरिक्त चार्ज अफीम फैक्ट्री, नीमच, (म. प्र.) (आई.आर.एस.) को उसकी स्कार्पियो कार में 16 लाख रुपये से अधिक नगद भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को सूत्र सूचना मिली कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी दलालों के माध्यम से अफीम की बढ़िया सांन्द्रता एवं मार्फीन प्रतिशत बताकर 10/12 आरी के पट्टे दिलवाने की एवज में प्रति किसान 80 हजार रुपये के हिसाब से कमीशन/रिश्वत की वसूली कर रहे हैं तथा इसी क्रम में दलालों के द्वारा भारी धनराशि का लेनदेन अधिकारियों/कर्मचारियों को किया जाना है।

जिस पर सूत्र सूचना को विकसित किया जाकर आज एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हर्षराज सिंह खरेड़ा** एवं उनकी टीम द्वारा आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करते हुये डॉ. शंशाक यादव पुत्र श्री महावीर यादव निवासी 11/1, म्योर रोड़, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.) हाल निवासी मकान नंबर 93, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर बनारस (उ.प्र.) हाल महाप्रबन्धक, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर (उ.प्र.) अतिरिक्त चार्ज अफीम फैक्ट्री, नीमच, (म.प्र.) (आई.आर.एस.) को उसकी स्कार्पियो कार में 16 लाख रुपये से अधिक नगद भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की स्कार्पियो कार में **मिठाई के डिब्बे में 15 लाख रुपये तथा आरोपी के पर्स से 1 लाख 32 हजार 410 रुपये कुल 16,32,410/–रुपये** जप्त किये गये हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।